संख्या-011/वीजीएल/094(पार्ट-1)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2014

परिपत्र सं0 03/07/2014

विषय: अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 06.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं0 399/33/2006-एवीडी-III द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 2(iii) के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से आयोग में प्राप्त ऐसे पुनर्विचार प्रस्तावों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति (सिविल सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों से लिए गए विशेषज्ञों के साथ) का गठन किया गया था जिन मामलों में आयोग ने पहले अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने की सलाह दी थी ।

2. दिनांक 29.06.2012 के परिपत्र सं0 13/06/12 द्वारा गठित पिछली समिति के विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल दिनांक 01.07.2012 से दो वर्षों की अवधि के लिए था । इसे आयोग द्वारा दिनांक 01.07.2014 से छ माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है ।

3. विशेषज्ञों की समिति के नियम एवं शर्तें पूर्ववत बने रहेंगे ।

ह0/-
(सलीम हक)
अपर सचिव

सेवा में

1. विशेषज्ञों की समिति के सदस्य
2. श्री एस.के. सरकार, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
3. श्री रंजीत सिन्हा, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।